VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	जतिन पाराशर		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	674865
Center	मुखर्जी नगर	Date	5-09-22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss.

(150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

सी. बी. आई. केन्द्रीय जाँच प्राधिकरण है जिसे किसी राज्य में जाँच कार्य करने हेतु राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

→ सामान्य सहमति निश्चित अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई पूर्वानुमति है।

सामान्य सहमति वापस लेने के कारण

- → राज्य पुलिस से संघर्ष (पं. बंगाल राज्य में देखा गया)
- → राज्यों द्वारा अपनी शक्तियों में हस्तक्षेप के रूप में देखना
- → केन्द्र पर राजनीतिक प्रयोग के आरोप लगे हैं
- → बढ़ते केन्द्र-राज्य संघर्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया

अनुमति वापस ले सहकारी संघवाद पर खतरा

① राज्य पुलिस व CBI में सहयोग से अपराध जाँच में परस्पर सामंजस्य रहता है। वापस लेने को प्रायः संघर्ष के रूप में देखा जायेगा

② अन्तर्राज्यीय प्रकृति के अपराधों की जाँच में सिंगापुर जो संघवाद हेतु खतरा।

③ CBI को कुछ विशेष मामलों (अन्तर्राष्ट्रीय अपराध) में विशेषज्ञता अनुमति वापस से ऐसे मामलों की जाँच राज्यों को सौंपे जाती होगी।

यद्यपि CBI की सामान्य सहमति वापस लेना राज्यों की स्वेच्छानुमति है कि एवं इसको पूरकता प्रदान करते NIA जैसी जाँच एजेंसियाँ हैं किन्तु केन्द्र को CBI को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर विशेष रूप से विधिक संरक्षण ना देना देना एवं राज्यों को सहभागी बनाकर सहकारी संघवाद को और मजबूत करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. (150 words) 10

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

भारत स्थानीय स्वशासी निकाय की वित्तीय सुदृढ़ता पर विचार अनुच्छेद 243-I तथा 243-Y के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

स्वशासी सरकारों के वित्त के स्रोत

① 11वीं तथा 12वीं अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों से संपत्ति कर, रोड टैक्स, जल कर, चुंगी कर आदि की वसूली करना।

② सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद -280) द्वारा अनुशंसित धन है। (15वें
जैसे > 15वें वित्त आयोग द्वारा 14वें की तुलना में अधिक धन हस्तांतरित किया।

③ विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त वित्त।
जैसे > मनरेगा, ग्राम सड़क योजना ~~आदि~~
स्वच्छता अभियान आदि हेतु।

(4) राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान।

~~भारत में स्थानीय निकाय अ~~

(5) म्यूनिसिपल बांड तथा कार्बन क्रेडिट विक्रय (इन्दौर ने कम्पोस्ट उत्पादन करके से प्राप्त) का किया प्रयोग।

→ भारत में स्थानीय निकाय राज्यों द्वारा वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित न किये जाने के कारण वित्तीय अभाव की स्थिति में रहते हैं।

अतः वित्तीय स्थिति सुधार के उपाय

(1) राज्यों द्वारा वास्तविक वित्तीय अधिकार सौंपे जायें।

(2) निकायों को भी स्थानीय कर को लगाने, वसूली करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(3) अपनी परिसंपत्तियों का व्यावसायिक प्रयोग।

जैसे> नगरीय निकायों की भूमि का व्यावसायिक उपयोग।

(4) राज्यों को प्रदर्शन आधारित अनुदान की प्रक्रिया अपनानी चाहिये।

(5) डेटा आधारित हस्तांतरण, अधिक सफल म्यूनिसिपल बाण्डों का प्रयोग तथा PPP मॉडल द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन उन्हें अधिक वित्तीय सुदृढ़ता की ओर ले जायेगा।

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. (150 words) 10

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ गैर-संवैधानिक तथा गैर-विधिक निकाय हैं यद्यपि राष्ट्रपति कार्य आवंटन नियमों के तहत इनका गठन किया जाता है।

इन समितियों के सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं।

जैसे > रक्षा संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति आदि।

सामूहिक उत्तरदायित्व व कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करना

(1) मंत्री परिषद की कमियों को दूर करना : प्रायः संसदीय शासन में विशाल मंत्री-परिषद की बैठक का ~~[illegible]~~ ~~के पूर्व मंत्री मंडल~~ का प्रतिनिधित्व मंत्री-मंडलीय समितियाँ ही करती हैं।

(2) राष्ट्रपति को अनुशंसा से पूर्व निर्णयों को समितियों के सामने पेश करना अनिवार्य है अन्यथा राष्ट्रपति इन्हें पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ अंतर मंत्रालयी समन्वय मंच के रूप में यह कार्यपालिका की एकरूपता बनाये रखती है।

④ राजनीतिक कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका के मध्य सेतु का कार्य करती है।

यद्यपि इसकी आलोचना भी

- मजबूत सरकार की उपस्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रभावी
- प्रधानमंत्री का प्रभावी प्रभाव अत्यधिक
- वि पर्याप्त विविधतापूर्ण चर्चा नहीं क्योंकि सीमित सदस्यता
- निर्णयों पर वोटिंग की प्रक्रिया निहित नहीं है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार → प्रत्येक मंत्रीमण्डलीय समिति से एक समिति की समिति को संलग्न करना चाहिए जिससे आने वाले विषयों पर पूर्व में ही विचार-विमर्श हो सके। इस प्रकार इससे उत्पादकता तथा प्रभावी कार्यपालिक समन्वय में और वृद्धि हो सकेगी।

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में प्रायः सरकारी खरीद ढाँचे को अपनी अनियमितताओं के साथ उपहासात्मक रूप में देखा जाता है।

सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन ढाँचे में चुनौतियाँ

① धीमा, अकुशल तथा गोपनीयता से भरा हुआ है। जैसे > रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया लम्बे समय में पूरी।

② आई - अतिनिर्भरता या लाल-फीताशाही ने इसे कमजोर किया है।

③ [illegible] डुप्लिकेशन जैसी प्रथाओं से नागरिकों द्वारा प्रायः खरीद को अविश्वसनीय नज़र से देखा जाता है।

④ सरकारी खरीद तंत्र की प्रक्रियाएँ व नियम अस्पष्ट गोपनीय रूप से संचालित हैं सिस्टम पर तथा RTI अधिनियम से बाहर रखा जाता है।
जैसे > राफेल विमान खरीद मामला।

तीव्र, कुशल, पारदर्शिता में वृद्धि में हेतु आवश्यक सुधार

(1) नियम व प्रक्रियाओं को नागरिक समाज तथा उद्योग की परामर्शी प्रक्रिया के साथ तैयार किये जाये।

जैसे) रक्षा खरीद प्रक्रिया नियम -2020।

(2) प्रक्रियाओं के डिजीटलीकरण के साथ कुशलता तथा पारदर्शिता में तीव्र बढ़ोत्तरी।

जैसे) GEM पोर्टल से खरीदी।

(3) नागरिक चार्टर के समान प्रतिबद्धताओं की एक प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है।

(4) सत्यनिष्ठा समझौतों को खरीद प्रक्रिया हेतु अनिवार्य किया जाये।

जैसे) अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर खरीदी को इसके उल्लंघन के कारण रद्द किया गया।

(5) राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अन्य खरीदी के सभी शर्तों की जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण।

भारत को अपनी खरीद प्रक्रिया को तीव्र तथा स्वच्छ बनाने ई-गवर्नेंस की ओर तेजी से कदम बढ़ाना चाहिये।

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. (150 words) 10

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक जवाबदेही पहलें ऐसी प्रक्रिया, नियम तथा नीतियाँ होती हैं जिनके क्रियान्वयन पर प्रशासनिक को सार्वजनिक रूप से उत्तरदायित्व होते हुए जवाबदेह होना पड़ता है।

जैसे > नागरिक चार्टर, लोकपाल आदि।

यह पहलें नागरिकों को सूचना द्वारा सशक्तिकरण एवं क्षमता में वृद्धि का शासन को अधिक पारदर्शी व नागरिकेन्द्रित बनाती हैं।

| सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने व संस्थागत बनाने में चुनौतियाँ |

① राजनीतिक-उदासीनता :- भारत: राजनीति द्वारा प्राय: ऐसे पहलें उदासीनता देखी गई है।
जैसे > निर्वाचन चार्टर के विधिकरण का अभाव; लोकपाल नियुक्ति में देरी, आदि।

② प्रशासन की औपनिवेशिक प्रवृत्ति :-

जिससे कारण प्रशासन गोपनीयता, अधिकारभावना से युक्त तथा आत्मकेन्द्रित व नियम आधारित बनेरहना चाहता है।

जैसे> RTI के तहत स्वतः सूचना प्रकटीकरण का न्यूनतम पालन।

(3) नागरिकों में जागरूकता का अभाव – सोशल ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं को संस्थागत व प्रभावी बनाने हेतु प्रयास करने से रोकता है।

(4) [चुनौतियों को दूर करने के उपाय]

(1) नागरिक समाज आंदोलन :
→ किसान-मजदूर शक्ति संगठन द्वारा RTI का अधिनियमन
→ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लोकपाल अधिनियम हेतु दबाव

(2) द्वारा राजनीतिक शिथिलता को समाप्त किया जा सकता है।

(2) प्रक्रियाओं को नियमआधारित तथा डिजीटलीकृत करना।
जैसे-> RTI अधिनियम का अक्षरशः पालन।

(3) प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों की प्रभावी क्रियान्वयन।

(4) प्रशासन को अधिक जनकेन्द्रित व नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण से संचालित करके।

(5) सिविल सेवा सुधार क्रियान्वित कर।
सामाजिक जवाबदेही पहलों को क्रियान्वित कर भारत सुशासन की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकेगा।

...mentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. **(150 words) 10**

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

राष्ट्रीय जनजाति का आयोग का गठन फरवरी 2004 में अनुच्छेद – 338(A) के तहत किया गया।

यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की जाँच तथा उनके विकास हेतु नीतियों को प्रभावित कर अपनी औचित्य सिद्ध करता है।

यद्यपि संसदीय स्थायी समिति ने इसके द्वारा सामना किये जाने वाली चुनौतियाँ बताई हैं –

① वित्तीयन की कमी :- आयोग को अपने कार्यों के संचालन में ~~वित्तीय प्रोत्साहन~~ बजटीय समर्थन में कमी देखी गई है।

② डेटा का अभाव :- आयोग के पास प्रायः जनजातियों के संबंध में डेटा का अभाव है।

③ जनजातीय मंत्रालय से संज्ञान का टकराव :- इसके – वन लाभ, एकलव्य विद्यालय तथा अधिकार उल्लंघन की शिकायतों को लेना।

(4) वर्तमान अनुशंसाओं पर ध्यान न अभाव देखा जा रहा है।

(5) राजनीतिकरण :- आयोग राजनीतिक नियुक्तियों का केन्द्र बन गया है।

(6) कोविड-19 के समय आयोग की शिथिलता को देखा गया है।

समस्याओं से निपटने के उपाय

(1) आयोग को प्रभावी शक्तियाँ सौंपी जायें तथा दण्डित व सुनवाई करने का अधिकार।

(2) वेतन-भत्तों को लेकिन निधि पर भारित किया जाये।

(3) नियुक्तियाँ केन्द्र के स्थान पर एक समिति द्वारा की जाये।

(4) मंत्रालय तथा आयोग के समन्वय वृद्धि के प्रयास हों।

(5) आयोग को प्रभावी कार्मिक स्टाफ उपलब्ध कराया जाये।

जनजातियाँ भारतीय समाज के सबसे पिछड़े अंग हैं ~~उनको कल्याण ही~~ गांधीवादी धारणा के अनुसार उनका कल्याण ही समाज का वास्तविक कल्याण है अतः सरकार को आयोग के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाना चाहिये।

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. (150 words) 10

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रतिदिन 1000 कैलोरी वाला भोजन उपलब्ध कराकर पोषण संबंधी आवश्यकता पूर्ति करना था।

योजना द्वारा उद्देश्य प्राप्ति में पीछे

① भारत में कुपोषित बच्चों की विश्व में सर्वाधिक संख्या।

② 26% बच्चे वेस्टिंग (wasting) तथा 20% गम्भीर कुपोषण से ग्रस्त।

③ कुपोषण के संबंध में लैंगिक असमानता की व्याप्ति।

④ योजना के माध्यम से सामाजिक सद्भाव का प्रयास किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः सामाजिक विद्वेष को बरकरार (जैसे) जातियों के बच्चों का अलग बैठना, दलित द्वारा बनाये गये भोजन को अस्वीकार करना आदि।

⑤ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं में कुपोषण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

⑥ मध्याह्न भोजन योजना भ्रष्टाचार आदि कारणों से ग्रसित।

योजना के अप्रभावी रहने के कारण
- → विद्यालयों में निम्न नामांकन अनुपात तथा उच्च ड्राप आउट दरें
- → भोजन में पोषक तत्वों की न्यूनतम कमी
- → भ्रष्टाचार आदि के कारण नियमित उपलब्धता नहीं
- → अभिवृत्ति परिवर्तन में वरीयता के प्रभाव न होना

उपचारात्मक | योजना में सुधार हेतु उपचारात्मक उपाय |

① विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाई जाये तथा उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक ~~भोजन~~ व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो।

② इस योजना को SHG के ~~माध्यम~~ से जोड़कर प्रभावी बनाया जा सकता है।

③ निगरानी हेतु सोशल ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं तथा ग्राम सभा के अधीन लाया जाये।

④ नियमित आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण व सुधार हेतु आशा कार्यकर्ताओं को संलग्न करना।

आकांक्षी जिला कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम द्वारा यह योजना अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करा सकने में सहायक है।

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. (150 words) 10

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

सतत विकास लक्ष्य-3 सभी के लिये स्वास्थ्य तथा लक्ष्य-5 की प्राप्ति हेतु यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार महत्वपूर्ण है।

SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महत्व
- → महिला सशक्तिकरण द्वारा लैंगिक समानता
- → महिला स्वास्थ्य ↑ → सभी के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य की प्राप्ति
- → अधिकारों से कुपोषण में कमी

SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाएँ

(1) आधारभूत ढाँचे की कमी :- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना की निम्न स्थिति तथा लगभग 9,000 डॉक्टरों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अभाव।

(2) पहुँच का अभाव:- यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच का अभाव भी प्रमुख बाधा है (जैसे- गर्भनिरोधकों तक पहुँच अभी भी नहीं बनी है)

(3) पितृसत्तात्मक :- यह महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करती है।

जैसे > गर्भनिरोधकों के उपयोग को लेकर प्रायः पुरुषों का अधिकार होना।

(4) जागरूकता का निम्न स्तर :- महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर उन्हें प्रजनन अधिकारों की जानकारी के प्रति उदासीनता लाता है।

जैसे > बिहार में 52% महिला साक्षरता → 36% महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधकों का उपयोग

केरल 90% महिला साक्षरता → 52% द्वारा उपयोग।

उठाये जा सकने वाले सुधारात्मक कदम

(1) स्वास्थ्य ढाँचे में सुधार → वित्तपोषण वृद्धि (GDP का 6% लक्ष्य) → ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करना

(2) आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुँच को विस्तारित करना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।

(3) ग्रामीण जागरूकता अभियान व प्रजनन अधिकारों के प्रति संवेदीकरण को बढ़ाना।

(4) प्रभावी जनसंख्या नीति लाना जो SRHR अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। भारत अपनी आधी आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करके ही SDG लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है।

…ers desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. **(250 words) 15**

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है यद्यपि वे चुनाव में प्रत्याशी के रूप भाग ले सकते हैं।

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना : "मतदान के अधिकार का अपमान"

(1) भारतीय संविधान :- ~~प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार का विधिक अधिकार~~ सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार देता है (अनुच्छेद-326)

(2) लोकतंत्र में शासन चुनने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है चाहे वह कैदी अपराधी क्यों न हो।

(3) यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है जहाँ व्यक्ति द्वारा एक अधिकार के उल्लंघन का दण्ड भुगतते हुए उसे उसके अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता है।

VISION IAS

(4) यद्यपि 3 कैदियों को मताधिकार न देने के विरुद्ध तर्क

(1) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कुछ मामलों में दोषी जैसे > दहेज हत्या, छुआछूत को मत चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित

अतः मताधिकार से भी वंचित किया जा सकता है।

(2) प्रक्रिया भारत बोझिल क्योंकि भारत में जेलें केन्द्रीकृत नहीं से अपने क्षेत्र में मतदान की समस्या।

(3) मतदान प्रक्रिया खर्च में तीव्र बढ़ोत्तरी।

(4) व्यक्ति द्वारा समाज के विरुद्ध अपराध अतः उसके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति संविधान द्वारा भी। जैसे वाक् अभिव्यक्ति पर लोकव्यवस्था के तहत प्रतिबंध।

सुधार के प्रयास

(1) यद्यपि कैदियों के अधिकार राज्य के अधीन किन्तु मताधिकार ~~का प्रयोग~~ दिया जा

सकता है।

इस हेतु विशेषज्ञों, सिविल समाज संगठनों तथा विधिक अधिकारियों के परामर्श लेना चाहिए।

② गम्भीर प्रकृति के अपराधियों के अतिरिक्त विचाराधीन कैदियों को अवश्य अधिकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये उनसे स

- समाज से अलगाव की भावना नहीं आयेगी
- लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित होगी
- मानवाधिकारों की भी रक्षा होगी

इस हेतु चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में मानदण्ड तथ्यों की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त मतदान प्रक्रिया का डिजीटलीकरण है, जैसे अभिनव प्रयोगों की ओर भी अग्रसर होना चाहिये जिससे कैदियों के साथ-साथ भारत की विशाल प्रवासी आबादी भी मतदान के अधिकार का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान कर सके।

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. **(250 words) 15**

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

भारत तथा यू.एस.ए. (USA) में समाज के पिछले वर्गों (भारत में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा USA में नस्लीय हाशिया वर्ग) को प्राचीनकाल से निरंतर शोषण का सामना करना पड़ा है।

सुभेद्य वर्गों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय

- → अधिकारों से वंचन (यहाँ तक कि जीवन के अधिकार से भी)
- → सामाजिक भेदभाव व अलगाव तथा अलग क्षेत्रों में रहने मजबूर करना
- → प्राकृतिक दोषीकरण (भारत में जनजातियों को अपराधिक घोषित करना) तथा USA में Blacks को हेय दृष्टि से देखना
- → न्याय (सामाजिक - आर्थिक - राजनैतिक) से वंचना

अतः अपनाई गई सकारात्मक कार्यवाहियों में समानताएँ

① संवैधानिक संविधान के तहत शामिल करना

- भारत में मौलिक अधिकार (भाग-3) तथा USA में बिल ऑफ राइट्स के तहत संविधान में स्थान।

② संरक्षण का अधिकार

- कार्यवादियों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका की बाध्यता।

③ सकारात्मक भेदभाव

आरक्षण जैसी प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षण।

④ दण्डनीय अपराध घोषित करना

भेदभाव उपायों के प्रति दोषी पाये जाने पर दाण्डिक कार्यवाही।

⑤ प्रतिबद्धताएँ

दोनों स्थानों पर नागरिक समूहों ने सकारात्मक कार्रवाई को (सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है)

एक-दूसरे पर प्रभाव

① भारत में गाँधीवादी तरीके से सकारात्मक कार्यवाही को USA में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा स्वीकार किया गया।

(2) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हेतु 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अपनाया।

(3) भारतीय संविधान के भाग-III मूल अधिकार पर USA के संविधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

(4) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा सामाजिक-न्याय को अम्बेडकरवादी विचार, USA के मौलिक रूप से पश्चातवर्ती कालों में स्वीकार किये गये।

भारत तथा USA एक-दूसरे से लोकतांत्रिक सिद्धांतों द्वारा जुड़े हुए हैं जहां नहीं भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है वहीं USA सबसे पुराना। यद्यपि दोनों ने ही समाज के चहुंमुखी विकास हेतु समुचित रूप से सकारात्मक कार्यवाही को अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं व नियमों में स्थान प्रदान किया है।

———x———x———

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. (250 words) 15

संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा जैसे राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण की घोषणा ने रोजगार में स्थान (अधिवास) आधारित आरक्षण के मुद्दे को जोरिंग प्रस्तुत किया है।

संवैधानिक समानता व स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आरक्षित पर आपत्ति

अनुचित है

① श्रम त्रिपक्ष विषय के रूप में संघ राज्य दोनों का विषय अतः राज्य सरकार पर निर्णय हेतु स्वतंत्र

② समानता का अधिकार अधिवास के आधार पर है, केवल सरकारी रोजगार में प्रतिबंध निजी क्षेत्र पर ऐसी बाध्यता का आरोपण नहीं।

③ अपने राज्य के निवासियों हेतु रोजे

सकारात्मक विभेद के रूप में देखा जा सकता है।

(4) राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय की स्वतंत्रता संविधान द्वारा उपलब्ध है।

यद्यपि आपत्ति उचित है

(1) समानता के अधिकार की मूल भावना इस मुद्दे के विरुद्ध दिखाई देती है।

(2) इसे नकारात्मक भेदभाव के रूप में वर्णित कर क्षेत्र आधारित संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है।

(3) निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन।

क्योंकि
(4) सरकारी रोजगार में अधिवास या स्थान के आधार पर आरक्षण का निर्धारण राज्यों द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा किया जा सकता है। (अनु॰ 16-3)

(5) निजी क्षेत्र के व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन।

आगे की राह

① राज्य सरकारों को उद्योगों के आकर्षण हेतु प्रभावकारी नीतियों का निर्माण करना चाहिये जिससे ताकि रोजगार सृजन में वृद्धि हो जाये।

② अपने निवासियों के कौशल के अर्जन पर ध्यान देगा।

③ सरकारी क्षेत्र में आवश्यक होने पर आरक्षण में वृद्धि हेतु संसद से सिफारिश।

जैसे> तमिलनाडु में OBC को 69% आरक्षण।

④ सरकारी जनसंख्या के आधार अन्य औद्योगिक राज्यों से रोजगार बढ़ाकर करना होगा।

अधिवास आधारित आरक्षण पर विचार-विमर्श तथा विभिन्न विशेषज्ञों को ध्यान रखते सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सरकारी जनसंख्या की भावना के अनुरूप निर्णय करना चाहिये।

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? (250 words) 15

ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

भारत में राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन की विरासत है तथा वर्तमान में इसके प्रयोग की बढ़ती घटनाओं ने इसके वर्तमान औचित्य पर प्रश्न आरोपित किये हैं।

राजद्रोह कानून उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला

① स्वतंत्रता के अधिकार को दबाना :- यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सीधा टकराता है।

जैसे

② उदार लोकतंत्र में आलोचना के अधिकार को दबाना

यह इस कानून के माध्यम से सकारात्मक राजनीतिक आलोचना को देशद्रोह का स्वरूप दिया जाता है।

③ शासन की जवाबदेहिता की माँग के विरुद्ध इसका लगातार उपयोग किया जा रहा है।

anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ न्याय से प्रेरणा

यह गैर जमानती कानून है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
जैसे) 2016 के बाद अवतक केवल 4 मामलों में दोषसिद्धी।
⑤ लगभग सभी उदार लोकतांत्रिक देशों ने इसे समाप्त कर दिया है या इसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है।

यद्यपि यह लोकतंत्र की रक्षा भी करता है।

① राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा हेतु सशक्त प्रभावी उपयोग किया जाता है।

② सामाजिक वैमनस्य को रोकने (लोकव्यवस्था बनाये रखने) संविधान स्वयं अधिकारों पर प्रतिबंध की मान्यता देता है।

③ भारत सरकार की आलोचना के विरुद्ध संयम उपयोग जिससे राष्ट्र के प्रति धूमिल
जैसे) नासिर नाईक केस।

आगे की राह

VISION IAS™

① कई राष्ट्रों ने इसको समाप्त कर दिया भारत को इस पर विधि आयोग की सिफारियों के अनुसार विचार करना चाहिये।

② केदारनाथ सिंह वाद -1962 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये।

③ इस ~~अनुच्छेद~~ धारा (धारा -124(A)) के प्रावधान UAPA जैसे अधिनियमों के तहत उपलब्ध अतः इसको समाप्ति पर विचार किया जा सकता है।

④ सरकार को पूरी सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करना चाहिये।

एक उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति तथा आलोचना उनके आधार को विस्तृत तथा सुधार को जगह रखती है। वर्तमान विश्व व्यवस्था को देखते हुए भारत को इसमें सुधार करना चाहिये।

———→x ———→x ———

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. (250 words) 15

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

गवर्नमेण्ट ई- मार्केटप्लेस शासन द्वारा संचालित (GeM) पोर्टल है जिस पर से खरीद प्रणाली द्वारा सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता है।

GEM की चुनौतियाँ

① प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य डिजीटल साक्षरता का अभाव।

② पोर्टल पर बड़ी कम्पनियों का प्रभुत्व।

③ अंतर परिचालनीयता तथा निम्न यूजर इन्टरफेस की प्रारंभिक समस्यायें।

④ msme व्यापारियों को रजिस्टर्ड करने में बाधाएँ।

⑤ सरकारी खरीद प्रक्रिया की गोपनीयता रखने

विरुद्ध जाती प्रतीत होती थी।

सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में उपयोग

① पारदर्शिता में वृद्धि :- सम्पूर्ण खरीद प्रक्रिया के डिजीटलीकरण से सार्वजनिक खरीद पर सार्वजनिक निगरानी सक्षम हुआ है।

② तीव्र तथा कुशल :- खरीद प्रक्रिया में तीव्रता तथा कुशलता का समावेश हुआ है।

③ MSME को महत्व :- सरकार की 25% MSME खरीद की बाध्यता ने सरकारी क्षेत्र को MSME क्षेत्र से जोड़ा है।

④ आवश्यकता केन्द्रित खरीद :- सरकारी क्षेत्र अब अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न विकल्पों के मध्य सर्वाधिक उचित मूल्य पर क्रय करने में सक्षम हुए हैं।

⑤ खरीद प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी :- पोर्टल की

सभी के लिये उपलब्धता सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सभी को भाग लेने का अवसर प्रदान करती जो कि पहले गोपनीय तथा क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी समस्याओं से भरी हुई थी।

अभी भी चुनौतियाँ

① यद्यपि समय पर भुगतान नहीं जैसी समस्यायें अभी भी व्याप्त।

② इस खरीद प्रक्रिया पर जवाबदेहिता के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव है।

③ CAG द्वारा इसमें कमियाँ उजागर की गई हैं।

सरकार को भुगतान प्रक्रिया के को डिजीटलाईज तथा निश्चित समय सीमा स्वरूप एवं पोर्टल को अधिक पारदर्शी बनाकर, msme को प्रशिक्षण व डिजीटल साक्षरता के माध्यम से GEM को और प्रभावी बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिये। ताकि सुशासन को वास्तविकता में प्राप्त किया जा सके।

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारतीय सिविल सेवा की आलोचना इसके अदक्षता तथा गोपनीयता व औपनिवेशिक आधार पर की जाती है।

सिविल सेवा को कुशल व जवाबदेह बनाने की आवश्यकता
- → नागरिक केन्द्रित प्रशासन हेतु
- → औपनिवेशिक ढांचे से बाहर आने
- → पारदर्शिता में वृद्धि करने
- → त्वरित व अनुक्रियाशील तथा स्मार्ट प्रशासन की प्राप्ति हेतु
- → शासन को सुशासन में परिवर्तित करने

अत्यधिक कुशल व जवाबदेह सिविल के विकास हेतु

भर्ती की संशोधित प्रणाली

(1) अभिवृत्तात्मक परीक्षण पर अधिक ध्यान / [illegible]

(2) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दक्षता में वृद्धि हेतु लेटरल एंट्री का प्रयास किया गया

प्रशिक्षण व मूल्यांकन की संशोधित प्रणाली

① मानव संसाधन को जगह भूमिका आधारित प्रशिक्षण।

② प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में व्यवहारात्मक प्रतिभाओं को शामिल करना।

③ पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के मूल्यों पर विशेष ध्यान के साथ पाठ्यक्रम (नवीन) निर्धारित करना।

④ पदस्थापना तथा वरिष्ठता हेतु प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन पद्धति।

जैसे > हाल ही में रेलवे अधिकारियों को CR में (कैरियर रिकार्ड) कर्मचारियों की टिप्पणी भी शामिल की जायेगी

⑤ सिविल सेवा में नियमों के स्थान पर भूमिकाओं तथा नागरिक केन्द्रित के स्थान पर ग्राहक केन्द्रिता की ओर ध्यान देना।

⑥ मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान करने विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों में किये गये कार्यों का

मूल्यांकन करना।

(7) ~~H~~ सिविल सेवकों को किसी स्थान पदस्थापन का उचित समय देना।

> वर्तमान में ~~अ~~ एक स्थान पर औसत पदस्थापना समय 15 माह।

भारत में मिशन कर्मयोगी

इसी प्रकार की सेवोचित प्रणाली को लागू करने का प्रयास करता है जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जायेगी।

सिविल सेवा को समाज के उद्देश्य गतिशील बनाए रखने स्वयं भी विकास प्रक्रिया का भाग बनना होगा। अतः ~~समाज~~ राष्ट्र के विकास हेतु प्रशासनिक विकास भी आवश्यक है।

→ → —

anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. **(250 words) 15**

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत के शिक्षा जैसे key मानकों पर पिछड़ने के कारण जनसांख्यिकी लाभांश के आपदा बनने जैसे मुद्दे को सामने रखा जाने लगा है

शिक्षा में भारत सरकार की पहलें
- → शिक्षा का संवैधानिक मूल अधिकार - 21A
- → सर्व शिक्षा अभियान
- → समग्र शिक्षा अभियान
- → शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
- → एकलव्य विद्यालय योजना
- → नामांकन वृद्धि हेतु मिड-डे-मील योजना
- → ICDS के कार्यक्रम के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा

=> नई शिक्षा नीति, 2020

पहलों के बावजूद लर्निंग पावर्टी व असमानताएँ

① प्रथम ~~रिपोर्ट के~~ NGO की असर रिपोर्ट के अनुसार कक्षा-5 के 50% बच्चे कक्षा-2 स्तर के प्रश्न हल करने में असफल।

② उच्च शिक्षा में महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों का नामांकन अनुपात निम्न बना हुआ है।

③ भारत में डिजीटल डिवाइड ने बड़े स्तर पे कोविड-19 के समय विद्यार्थी आबादी को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया।

④ शिक्षा में ग्रामीण-शहरी विभाजन व्याप्त है।

बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता

① अधिगम स्तर सुधारना :- शिक्षा के अधिगम का लक्ष्य मूलभूत कौशल को प्राप्त करने की क्षमता था अतः प्राप्त करने हेतु बड़े प्रयास की आवश्यकता।

② वित्तपोषण :- शिक्षा पर GDP का के % व्यय को बढ़ाकर नई शिक्षा नीति के अनुसार 6% के स्तर तक ले जाना।

margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) व्यावसायिक शिक्षा – शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकता अनुसार बनाकर ही जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त किया जा सकेगा।

(4) असमानता दूर करना :- आजकल महिला भागीदारी दर की वृद्धि, उपेक्षा की समाप्ति तथा वंचित वर्गों का सशक्तिकरण शिक्षा को सार्वभौमिक बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

(5) निजी क्षेत्र को जोड़ना :- निजी शिक्षा में व्यावसायिक उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को शामिल कर सरकार अपनी कमियों को दूर कर सकती है

(6) डिजीटल चुनौतियाँ :- कोविड-19 में देखी असमानता के आलोक में वंचित वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटल शिक्षा के प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति-2020, आशा की नई उम्मीदों के साथ ~~लाया गया~~ सरकार का बेहतर दस्तावेज है इसके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से SDG लक्ष्य-4 इसके अन्य सभी लक्ष्यों को और तीव्रता से प्राप्त लक्ष्य-3 के साथ किया जा सकेगा।

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. (250 words) 15

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली

रोगों को उनके प्रसार के पूर्व पहचान कर प्रभावी स्वास्थ्य अनुक्रिया हेतु तंत्र को तैयार करती है।

भारत में संचारी और गैर-संचारी रोगों का बढ़ता बोझ

संचारी रोग

① TB तथा एड्स के विश्व में सर्वाधिक मरीज भारत में

② गर्म जलवायु परिस्थितियाँ, घनी आबादी, राज्य / शत्रु अभिकर्ताओं के कारण जैव आतंकवाद का खतरा

भारत को संचारी रोगों के प्रति सुभेद्य बनाते हैं

गैर-संचारी रोग

① शहरी जीवन के प्रचलन से डायबिटीज, मानसिक रोगों की बढ़ती संख्या।

नोट > WHO के अनुसार भारत में विश्व की कुल पुरुष आत्महत्याओं का 1/4 तथा महिला आत्महत्याओं का 1/3)

(2) जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों में वृद्धि की है।

(3) स्वास्थ्य

⇒ स्वास्थ्य प्रणाली की निम्न क्षमता ~~असफलता~~ के कारण के दोनों ही प्रकार के रोगों में वृद्धि हो रही है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार

(1) अनुक्रिया दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दृष्टिकोण में बदलना ताकि बीमारियों के फैलने से पूर्व प्रभावी तैयारी की जा सके।

(2) डिजीटलीकरण को प्रोत्साहन

> आरोग्य सेतु APP जैसे प्रभावी उपायों को बढ़ावा

(3) ~~स्वास्थ्य~~ अवसंरचना में सुधार

. परीक्षण लैब, प्रभावी सैंपल कलेक्शन केंद्रों का निर्माण करना।

(4) भूमिकाओं का निर्धारण

VISION IAS

[illegible] जैसी नई क्रान्तिकारी नीतियों से अवगत होंगे।

(5) चिकित्सा क्षेत्र का प्रसार

इसके द्वारा चिकित्सा प्रणाली को संस्थागत रूप प्रदान किया जा सकेगा।

सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक को चिकित्सा प्रणाली के साथ-साथ पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा, वन हेल्थ दृष्टिकोण एवं अंतर्विषयात्मक शिक्षा की ओर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

—— X ——

(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

विभिन्न असंवैधानिक निर्णयों (चीन के प्रभाव पर निर्भरता, अचानक जैविक कृषि को बढ़ावा) तथा COVID-19 की परिस्थितियों ने मिलकर श्रीलंका के आर्थिक संकट को जन्म दिया है।

श्रीलंका के आर्थिक संकट का उसकी सीमाओं के पार प्रभाव

① प्रवासी संकट का खतरा :- भारत पर पुनः प्रवासी संकट या शरणार्थियों का खतरा। क्योंकि श्रीलंका में खाद्य महंगाई उच्च स्तर पर।

② कट्टरपंथीकरण :- श्रीलंका में हाल ही में हुये हमले वहाँ आतंकवादी गतिविधियों की उपस्थिति दर्शाते हैं। उसके द्वारा स्थिति का फायदा भारत विरोधी गतिविधियों हेतु।

③ भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से किया श्रीलंका में

विरोध किया गया जिसका भारतीय डेमोक्रेसी पर भी प्रभाव।

(4) चीन की ऋण जाल नीति की प्रवृत्ति :- अफ्रीकी एशियाई देशों में चीन द्वारा ऋण जाल (डेब्ट ट्रैप) या अपने प्रभाव में वृद्धि के प्रयास देखा गया है उपर्युक्त स्थिति में चीनी कर्ज के अत्यधिक भार श्रीलंका या नेपाल के हालात उत्पन्न करती है।

जैसे> हम्बनटोटा को लीज पर दिया जाना।

(5) दक्षिण एशिया की छवि :- विश्व में दक्षिण एशिया के प्रति नकारात्मक निवेश की नकारात्मक छवि भारत को भी प्रभावित होगी।

भारत द्वारा सहायता हेतु कदम

(1) आर्थिक सहायता :- भारत ने अपनी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत $1 बिलियन की प्रत्यक्ष मदद की।

(2) मानवीय आधार पर दवाईयों तथा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है।

(3) तेल संकट से निपटने में भारत ने पेट्रोल व डीजल को उपलब्ध कराया है।

(4) कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने में भारत ने खाद्य तथा उर्वरकों की विशाल मात्रा प्रदान की है।

(5) भारत IMF जैसे संस्थानों से सहायता प्राप्त करने में भी श्रीलंका का सहयोग कर रहा है।

श्रीलंका संकट में भारत की पड़ोस प्रथम की नीति को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है तथा IOR क्षेत्र में नेतृत्व कर्ता की भूमिका को उजागर किया है। यद्यपि श्रीलंका के रणनीतिक महत्व को देखते हुए चीन के प्रतिक्रियात्मक कदमों से भी दूर रहने की आवश्यकता है।

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss.

(250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक श्रेष्ठता प्रदान करती है।

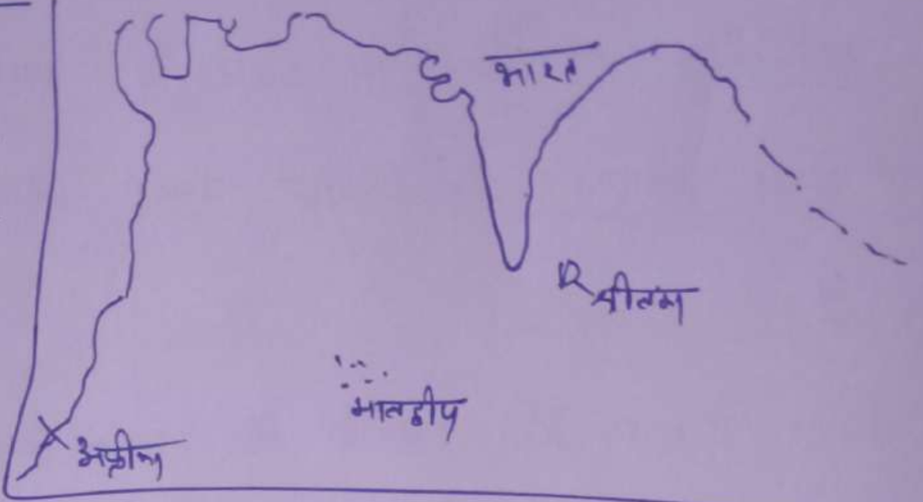

भारत हिंद महासागर में विश्वसनीय भागीदार

(1) विकास का अग्रकर्ता :- भारत की रणनीति IOR क्षेत्र के विकास की ओर रही है।

(2) लोकतांत्रिक शासन :- इस क्षेत्र में भारत के प्रति विश्वास को कायम रखते हैं।

(3) ~~वि~~ स्थिर तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति :- भारत अपनी विदेश नीति में दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा तटस्थता का समर्थक रहा है।

(4) आर्थिक क्षमता :- कि IOR क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो विकास करने में सक्षम है।

(5) सॉफ्ट पॉवर :- भारत नेतृत्व की भूमिका हेतु Hard की जगह soft power में विश्वास करता है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में सुधार की माँग, जलवायु विषयों पर विकासशील देशों का नेतृत्व तथा WTO वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों की बात भारत को विश्व नेतृत्व प्रदान करते हैं।

| भारत निवल सुरक्षा प्रदाता |

(1) अवस्थिति :- भारत की भौगोलिक अवस्थिति स्वयं इस भूमिका हेतु उपयुक्त है।

(2) सैन्य क्षमताएँ :- INS विक्रांत जैसे पोत तथा विशाल नौसैन्य क्षमताएँ।

(3) खुले एवं नियम आधारित IOR क्षेत्र पर बल

(4) आर्थिक मजबूती तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों

देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका के सहयोग भारत की भूमिका को आगे बढ़ाते हैं।

(5) IOR क्षेत्रों के देशों की भारत की आक्रामकता के स्थान पर केवल रचनात्मक भूमिकाओं तक सीमित रहने का विश्वास।

यद्यपि IOR क्षेत्र की विविधता, अंतर क्षेत्रीय असमानता, धार्मिक विविधता तथा आपसी संघर्ष जटिल परिस्थितियों का निर्माण करते जिनमें चीन की आक्रामक उपस्थिति एवं पाकिस्तान का प्रतिक्रियावादी तत्व बढ़ावा देता है। यद्यपि भारत को अपनी नीतियों को स्थिर रखते हुए, नीलीय बदर में बढ़ोतरी कर, द्विपक्षीय बहुपक्षीय साझेदारी द्वारा पहुँच में वृद्धि से विकास कार्यों द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर सुरक्षा प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिये।